प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

अध्यक्ष,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
नई दिल्ली।

पत्रांक 33 / प्रशा0अधि0–स्थापना–2022 दिनांक 05 अप्रैल, 2022

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित अपील संख्या– 138 / 2020 विषयक श्री रोशन जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2022 के अनुपालनार्थ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक याचिका मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित अपील संख्या– 138 / 2020 विषयक श्री रोशन जोश बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2022 के अनुपालन में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त अपनी संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत की है। जिसकी प्रति मा0 अधिकरण के अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(डा0 शिव कुमार बरनवाल)
अपर जिलाधिकारी (प्र0),
देहरादून।

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001

REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehradun-248001

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/ MGT-45 /2021–22/ 14-05 दिनांकः 01/04/22

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन
आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़
देहरादून।

विषय– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में याजित अपील संख्या–138/2020 विषयक रोशन जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या– यूकेपीसीबी/एच.ओ./Gen-183/554-1423 दिनॉक 05/03/2022 व कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून के पत्रांक–17/प्रशा0अधि0–(स्थापना)–2022, दिनांक 21.03.2022 के कम में तहसीलदार सदर, देहरादून एवं इस कार्यालय द्वारा दिनांक 30.03.2022 को प्रस्तावित/संचालित पेट्रोल पम्प खसरा न0 587/1 मौजा रायपुर रांझावाला व मै0 शहीद ज्ञान सिंह बिष्ट, (भारत पेट्रोलियम), खसरा न0 1560, डोभाल चौक, मौजा रायपुर देहरादून का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय

/

(डा0 आर0के0 चर्तुवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपि–

1. अपर जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. उप जिला मजिस्ट्रेट (सदर), देहरादून को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

A O (र०प्रा०)

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

ADM (E)
04/04

6/13

मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित अपील संख्या 138/2022 विषयक श्री रोशन जोशी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्राक संख्या यूकेपीसीबी/एचओ/सा.–183/554–7342, 1423 दिनांक 05.03.2022 व कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून के पत्रांक– 17/प्रशा0अधि0–(स्थापना)–2022, दिनांक 21.03.2022 के कम में तहसीलदार सदर, देहरादून एवं इस कार्यालय द्वारा दिनांक 30.03.2022 को **खसरा न0 587/1 मौजा रायपुर** रांझावाला का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित पेटोल पंप **खसरा न0 587/1 मौजा रायपुर रांझावाला, पर पैट्रोल पम्प की स्थापना नहीं की गयी है।**

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र संख्या–B-13011-01/2019-20-AQM-0809 दिनांक 07.01.2020 के अनुसार **Siting Criteria of Retail Outlet/Petrol Pumps** निम्नानुसार है–

1- **"In case of siting criteria for petrol pumps new Retail Outlets shall not be located within a radial distance of 50 meters (from fill point/dispensing units/vent pipe whichever is nearest from schools, hospitals (10 beds and above) and residential areas designated as per local laws.**
2- **In case of constraints in providing 50 meters distance, the retail outlet shall implement additional safety measures as prescribed by PESO.**
3- **In no case the distance between new retail outlet from schools, hospital (10 beds and above) and residential area designated as per local laws shall be less than 30 meters.**
4- **No high tension line shall pass over the retail outlet."**

- प्रस्तावित पेट्रोल **पम्प के उत्तर दिशा में आवासीय भवन** श्री भगवान सिंह थापा स्थित है, जो प्रस्तावित पेट्रोल पंप स्थल से बाउंडी वॉल **से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है।**
- दक्षिण दिशा में खाली **प्लाट है, जिसमें** 30 मीटर से अधिक दूरी पर आबादी नहीं है।
- पूर्व दिशा में **प्रस्तावित स्थल खसरा** न0 587/1 आबादी का भाग है जिसमें आवासीय भवन श्री जीवन सिंह राणा स्थित है, जो कि प्रस्तावित स्थल से लगा हुआ है।
- पश्चिम दिशा में **रायपुर,** बालावाला मुख्य मार्ग है।

केंन्द्रीय प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के गाइडलाइन में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि पेट्रोल पंप से स्कूल चिकित्सालय तथा आवासीय क्षेत्र में 50 मीटर की दूरी पर कोई पेट्रोल पंप स्थापित न किया जाये, प्रकरण पर दिनांक 30.03.2022 को स्थल निरीक्षण पर पाया गया कि प्रस्तावित पेट्रोल पंप के उत्तर व पूरब दिशा में भगवान सिंह थापा व जीवन सिंह राणा के आवासीय भवन स्थित है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के 50 मीटर की परिधि में आबादी क्षेत्र है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित पेट्रोल पंप (खसरा न0 587/1 मौजा रायपुर रांझावाला) केंन्द्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक 07.01.2020 का अनुपालन नही करती है। निरीक्षण के दौरान पैट्रोल पम्प की स्थापना नहीं की गयी है, उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं पाया गया। निरीक्षण आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

(राकेश कण्डारी) (सहा0पर्या0अभियन्ता)	(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी) (क्षेत्रीय अधिकारी)	(सुरेन्द्र सिंह) तहसीलदार (सदर), देहरादून

मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित अपील संख्या 138/2022 विषयक श्री रोशन जोशी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्राक संख्या यूकेपीसीबी/एचओ/रा.–183/554–7342, 1423 दिनांक 05.03.2022 व कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून के पत्रांक– 17/प्रशा0अधि0–(स्थापना)–2022, दिनांक 21.03.2022 के कम में तहसीलदार सदर, देहरादून एवं इस कार्यालय द्वारा दिनांक 30.03.2022 को **खसरा न0 587/1** मौजा रायपुर रांझावाला का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित पेटोल पंप **खसरा न0 587/1 मौजा रायपुर रांझावाला, पर पैट्रोल पम्प की स्थापना नहीं की गयी है।**

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र संख्या–B-13011-01/2019-20-AQM-0809 दिनांक 07.01.2020 के अनुसार **Siting Criteria of Retail Outlet/Petrol Pumps** निम्नानुसार है–

1- **"In case of siting criteria for petrol pumps new Retail Outlets shall not be located within a radial distance of 50 meters (from fill point/dispensing units/vent pipe whichever is nearest from schools, hospitals (10 beds and above) and residential areas designated as per local laws.**
2- **In case of constraints in providing 50 meters distance, the retail outlet shall implement additional safety measures as prescribed by PESO.**
3- **In no case the distance between new retail outlet from schools, hospital (10 beds and above) and residential area designated as per local laws shall be less than 30 meters.**
4- **No high tension line shall pass over the retail outlet."**

- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के उत्तर दिशा में आवासीय भवन श्री भगवान सिंह थापा स्थित है, जो प्रस्तावित पेट्रोल पंप स्थल से बाउंडी वॉल से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है।
- दक्षिण दिशा में खाली प्लाट है, जिसमें 30 मीटर से अधिक दूरी पर आवादी नहीं है।
- पूर्व दिशा में प्रस्तावित स्थल खसरा न0 587/1 आबादी का भाग है जिसमें आवासीय भवन श्री जीवन सिंह राणा स्थित है, जो कि प्रस्तावित स्थल से लगा हुआ है।
- पश्चिम दिशा में रायपुर, बालावाला मुख्य मार्ग है।

केंन्द्रीय प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के गाइडलाइन में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि पेट्रोल पंप से स्कूल चिकित्सालय तथा आवासीय क्षेत्र में 50 मीटर की दूरी पर कोई पेट्रोल पंप स्थापित न किया जाये, प्रकरण पर दिनांक 30.03.2022 को स्थल निरीक्षण पर पाया गया कि प्रस्तावित पेट्रोल पंप के उत्तर व पूरव दिशा में भगवान सिंह थापा व जीवन सिंह राणा के आवासीय भवन स्थित है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के 50 मीटर की परिधि में आबादी क्षेत्र है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित पेट्रोल पंप (खसरा न0 587/1 मौजा रायपुर रांझावाला) केंन्द्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक 07.01.2020 का अनुपालन नही करती है। निरीक्षण के दौरान पैट्रोल पम्प की स्थापना नहीं की गयी है, उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं पाया गया। निरीक्षण आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

(राकेश कण्डारी)	(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)	(सुरेन्द्र सिंह)
(सहा0पर्या0अभियन्ता)	(क्षेत्रीय अधिकारी)	तहसीलदार (सदर), देहरादून